



राजस्थान सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎: 0141-2704357 📠: 0141-2704358 email : dir-sans-rj@nic.in



क्रमांक:-निसंशि/संस्था-2क/डीपीसी/पदस्थापन/2022/14536-45

दिनांक :- 31/5/2022

--: आदेश :-


राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015 के नियम 30(i) के प्रावधानानुसार गठित पदोन्नति समिति द्वारा निम्नांकित प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति वर्ष में चयनोपरान्त पे-मेट्रिक्स लेवल L-16 में पदोन्नत कर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

क्र. सं.	पी. एफ. नम्बर	नाम प्रधानाचार्य मय पदस्थापन स्थान	रिक्ति वर्ष	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1.	2727	श्री सत्यदेव चतुर्वेदी, संभागीय कार्यालय जोधपुर	2021-22	सेवानिवृत्त दिनांक 28.02.2022
2	3193	डॉ० महेन्द्र कुमार शर्मा, संभागीय कार्यालय, कोटा	2021-22	सहायक निदेशक, निदेशालय संस्कृत राजस्थान जयपुर
3.	3194	श्री हरिओम गौतम, संभागीय कार्यालय, भरतपुर	2021-22	संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, संभागीय कार्यालय, भरतपुर
4.	3341	श्री बहादुर सिंह गुर्जर, राज०वरि०उपा०सं०विद्या० इन्द्रानगर, बाड़मेर	2021-22	सहायक निदेशक, निदेशालय संस्कृत राजस्थान जयपुर
5.	5172	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, राज०वरि०उपा०सं०विद्या० शाकम्बरी सकराय, सीकर	2021-22	संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, संभागीय कार्यालय, जोधपुर
6.	3657	श्री गोपाल लाल जाट, राज०वरि०उपा०सं०विद्या० महापुरा, जयपुर	2021-22	संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, संभागीय कार्यालय, जयपुर
7.	5176	श्री किशन लाल उपाध्याय राज०वरि०उपा०सं०विद्या० सीकर।	2021-22	संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, संभागीय कार्यालय, बीकानेर संभाग चूरु
8.	4644	श्री मुरारी लाल राव, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर	2021-22	संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, संभागीय कार्यालय, अजमेर
9.	5517	श्री गंगाधर मीणा, राज०वरि०उपा०सं०विद्या० श्रीरामपुरा, दौसा	2021-22	संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, संभागीय कार्यालय, कोटा

- नोट- 1. पदोन्नत प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय को पदोन्नत पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार उक्त आदेश की पालना में दिनांक 10.06.2022 तक कार्यरिंभ करना आवश्यक होगा अन्यथा उनके चयनित चेतनमान को विलम्बित कर दिया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ7(1)कार्मिक/क-2/ 90 दिनांक 05.08.1998 के अनुसार दो रिक्ति वर्ष तक पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जावेगा।
2. कार्मिक विभाग की अधिसूचना पं.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार संबंधित कार्मिक द्वारा इस आशय का शपथपत्र कार्यारम्भ से पूर्व संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा कि "दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान

नहीं है। ” दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने पर संबंधित कार्मिक से कार्यारम्भ नहीं कराया जावे एवं विभाग को मय प्रमाण के तत्काल सूचित करावें।


3. कार्यग्रहण काल नियम के तहत पदस्थापन परिवर्तन होने की स्थिति में नियमानुसार योगकाल व यात्रा भत्ता देय होगा।


(डॉ० दीरघराम रामरानी)
निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-निसंशि/संस्था-2क/डीपीसी/पदस्थापन/2022/14536-45 दिनांक :- 31/5/2022
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राज० जयपुर
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
5. सम्बन्धित संभागीय कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
6. सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्यालय।
7. वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
8. संबंधित कार्मिक।
9. सामान्य प्रशासन/गोपनीय अनुभाग, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राज० जयपुर।
10. संरक्षण पंजिका।


(डॉ० भास्कर शर्मा)

संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर